रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2603] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2013/कार्तिक 27, 1935
No. 2603] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2013/KARTIKA 27, 1935

IndiaCode

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2013

का.आ. 3444(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री उमेश दत्तात्रय सालवी, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिनांक 14 फरवरी, 2013 से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (खंड-IV)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2013

S.O. 3444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010(19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Umesh Dattatraya Salvi, Judge of Bombay High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 14th February, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty- seven years, whichever is earlier.

[F. No. 17(30)/2012-PL/NGT (Vol. IV)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

4775 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.